रजिस्ट्री सं. डी. (डी एन)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 214] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 5, 1990/ज्येष्ठ 15, 1912
No. 214] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 5, 1990/JYAISTHA 15, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 1990

सा. का. नि. 549(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुंबई पत्तन न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में मुंबई पत्तन न्यास कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 1990 का अनुमोदन करती है

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

[फा सं पी आर.-12013/4/88-पी ई 1]

एस. एन. कक्कड़, संयुक्त सचिव

सूची

प्रमुख बंदरगाह अधिनियम 1963 की धारा 28 के खंड (बी) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए बंदरगाह का विश्वस्त मंडल मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1976 में अधिक संशोधन करने की दृष्टि से निम्न विनियम बनाता है।

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ—इन विनियमों को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम 1990 कहा जाय।

2. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1976 के विनियम 3 में उपविनियम (1) के बाद उपविनियम (1ए) के अंतर्गत निम्न सम्मिलित किया जाय :—

"(1ए) कोई भी कर्मचारी—

(i) बंदरगाह के हित के लिए हानिकर हो, ऐसा आचरण नहीं करेगा;

(i) मंजूर अवकाश के बगैर अनुपस्थित नहीं रहेगा, अपनी उपस्थिति में अनियमित नहीं होगा तथा समय का पाबंद रहेगा;

(ii) अपना काम दुर्लक्षित नहीं करेगा, कार्यनिष्पादन में लापरवाही नहीं बरतेगा। यदि काम में बाधा डालकर काम की गति धीमी तो करें, उसे भी लापरवाही माना जाएगा;

(iv) पोर्ट ट्रस्ट का कार्य अथवा संपत्ति के संबंध में चोरी, गबन अथवा अप्रामाणिकता का व्यवहार नहीं करेगा। ऐसे काम के लिए किसी को नहीं उकसाएगा अथवा ऐसे काम में दूसरों का सहयोग नहीं देगा;

(v) किसी भी दंडनीय व्यवहार या गलती की बार-बार पुनरुक्ति नहीं करेगा;

(vi) वरिष्ठ व्यक्ति द्वारा दिए गए उचित या कानूनी आदेशों की व्यक्तिगत रूप से अथवा दूसरों के साथ मिलकर अवज्ञा या उल्लंघन नहीं करेगा;

(vii) दुराचार के लिए किसी को उकसाना अथवा उकसाने का प्रयास करना आदि काम नहीं करेगा,

(viii) पोर्ट ट्रस्ट संपत्ति अथवा पोर्ट ट्रस्ट की हिफाजत में होने वाली या पोर्ट ट्रस्ट क्षेत्र में पड़ी संपत्ति को नुकसान या क्षति नहीं पहुंचाएगा। पोर्ट ट्रस्ट क्षेत्र में लगवाए गए सुरक्षा उपस्करों में हस्तक्षेप नहीं करेगा;

(ix) रिश्वत लेना-देना, गैर कानूनी इनाम स्वीकार करना अथवा उसके लिए अन्यों को उद्युक्त करना आदि काम नहीं करेगा;

(x) वरिष्ठ अधिकारी-अधिकारियों अथवा सहकारियों पर हमला नहीं करेगा, उन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालेगा;

(xi) पोर्ट ट्रस्ट क्षेत्र में जुआ खेलना, बेटिंग देना अथवा उसका प्रयास करना आदि नहीं करेगा;

(xii) नियम और विनियमों का पालन करने में नहीं चूकेगा,

(xiii) झूठा या भ्रामक कथन नहीं करेगा;

(xiv) पोर्ट ट्रस्ट के क्षेत्र में अथवा पोर्ट ट्रस्ट के काम के संबंध में होनेवाले परंतु जो पुलिस द्वारा दंडनीय नहीं है, ऐसे विवाद अथवा अपराध के लिए अपने सहकर्मचारी के विरुद्ध मामला अध्यक्षजी की पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना न्यायालय में नहीं ले जाएगा,

(xv) झगड़ा करना अथवा काम पर होते हुए सो जाना इस प्रकार का अनुचित आचरण नहीं करेगा, उपद्रवी, अस्त-व्यस्त अथवा अभद्र बर्ताव नहीं करेगा और अनुशासन के खिलाफ विद्रोही हो ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 1990

G.S.R. 549(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 124, read with Sub-section (i) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Bombay Port Trust Employees' (Conduct) Amendment Regulations, 1990 made by the Board of Trustees for the Port of Bombay and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. PR-12013|4|88-PE.I]

S. N. KAKAR, Jt. Secy.

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by clause (b) of section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963, the Board of Trustees of the Port Bombay, hereby make the following regulations further to amend the Bombay Port Trust Employees (Conduct) Regulations, 1976, namely —

1. Short title and commencement.—These regulations may be called the Bombay Port Trust Employees (conduct) Amendment Regulations, 1990.

2. In the Bombay Port Trust Employees (Conduct) Regulations, 1976, in regulation 3, after sub-regulation (1), insert the following as sub-regulation (1A), namely :—

"(1A) No employee shall —

(i) act in a manner prejudicial to the interest of the port;

(ii) remain absent without sanctioned leave or be irregular or unpunctual in attendence;

(iii) neglect work or show negligence in the performance of work including slowing down of work;

(iv) abet, connive at or attempt or commit theft, fraud or dishonesty in connection with Port Trust work or property;

(v) commit frequent repetition of any act or ommission for which a fine may be imposed;

(vi) act in insubordination or disobedience, whether alone or in combination with others, of any lawful or reasonable order of a superior;

(vii) abet or attempt to debt any act which amounts to misconduct;

(viii) cause loss of or damage to Port Trust property or property in the custody or lying in the premises of the Port Trust on interfere with, any safety divice installed in the Port Trust premises ;

(ix) take or give bribes or any illegal gratification or any acts of abetment in connection herewith;

(x) assault or intimidate a superior officer or officers or fellow employee or employees of the Port Trust;

(xi) gamble or abet or attempt to do on Port Trust premises;

(xii) fail to observe rules or regulations;

(xiii) make false or misleading statements;

(xiv) take proceedings in any Court against any fellow worker in respect of any dispute or offence non-cognisable by the Police that may happen on Port Trust premises or in connection with Port Trust work, without obtaining the previous sanction of the Chairman; and

(xv) behave immproperly such as quarrel or sleep while on duty or behave in a motou , Disorderly or indecent manner or commit any act subversive of discipline.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi 110064
and published by the Controller of Publications, Delhi 110054, 1990.